# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

करण संख्या :– 47/2020( 2020/00445) दर्ज दिनांक 04.09.2020

ा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

**शीर्षक**

ातुल पत्नि इब्राहीम मंसुरी निवासी चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थी

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षी

**अधिवक्ता प्रार्थी: श्री मेहन्द्रसिंह चुण्डावत**
**विपक्षी: पेरोकार सरकार**

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम</u> ::

**दिनांक:–29.10.2020**

**:: निर्णय ::**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षी के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम चीड़खेड़ा पटवार हल्का चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1992 रकबा 0.05 हे0, 1993 रकबा 0.25 हे0, 1994 रकबा 0.23 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 280 पर स्थित है, जिसके लिये नकल जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 पेश है।

यह है कि प्रार्थीया की उक्त आराजीयात में से एक मात्र विद्यमान रास्ता सरकारी बिलानाम आराजी संख्या 1990 रकबा 0.05 हे0 व आराजी संख्या 1991 रकबा 0.17 हे0 गै0मु0 नाला के किनारे किनारे 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीया की आराजी संख्या 1993 में जाता है इसी रास्ते से प्रार्थीया अपने खेतों में वर्षो से आवागमन व फसल लाभ ले रही है। उक्त रास्ते से आवागमन करने के दरमियान गाड़ी, संज, बैल, पैदल, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के उक्त वर्णित खेत में आवागमन का कोई ओर रास्ता मौजूद नहीं है।

यह कि उक्त रास्ते से आवागमन करने के दरमियान गाड़ी, संज, बैल, पैदल, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने प्रार्थीया द्वारा कई म[illegible] आवागमन के उक्त रास्ते को सरकारी रूप में दर्ज करवाने बावत् कहा, लेकिन [illegible] बार टालम बाजी का जवाब देते हुए इन्कार कर दिया। जबकि प्रा[illegible] में विपक्षी को ओर प्रतिकर राशि अदा करने हेतु तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Rancholi
Date: 2021.01.15 12:00:42 IST
Reason: SelfAttested

1.

उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि उक्त आराजीयात के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी में जाने का कोई अन्य रास्ता पलब्ध नहीं है प्रार्थीया की आराजी में जाने के लिए इस रास्ते की सख्त आवश्यकता है न्यथा मै प्रार्थीया अपने खातेदारी हक अधिकार एवं स्वामित्व की आराजी के उपयोग उपभोग । वंचित हो जाऊंगी।

प्रार्थी ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थी का प्रार्थना – पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम चीड़खेड़ा के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 280 में अंकित आराजी संख्या 992, 1993, 1994 के आवागमन का रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 1990 बिलानाम व 1991 ि0मु0 नाला के किनारे–किनारे 20 फीट चौड़ाई का रास्ता राजस्व रेकार्ड व नक्शे में बिलानाम ि0मु0 रास्ता अंकित कराये जाने बाबत् प्रतिकर निर्धारण कर उसे रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर के नाम प्रदान कराया जावे ।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी उपस्थित।

प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक /राजस्व/ 20/762 दिनांक 22.10.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

**<u>मौका पर्चा के अनुसार :–</u>**

– मौके पर बिलानाम आराजी नं0 1990 में रास्ता बना हुआ है।

– मौके पर रास्ता बंद नहीं है।

– वर्तमान में इसी आराजी में होकर प्रार्थी स्वयं की खातेदारी भूमि में आवागमन कर रहा है।

– उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

– प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते अनुसार आराजी नं0 1990 रकबा 0.05 हे0 किस्म बीड बिलानाम भूमि है, उक्त रास्ते हेतु उक्त आराजी नं0 1990 रकबा 0.05 हे0 सम्पूर्ण भूमि रास्ते हेतु प्रभावित होगी। ग्राम चीड़खेड़ा की असिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 254007/– प्रति हे0 निर्धारित है जिसके अनुसार उक्त रास्ते में प्रभावित भूमि 0.05 हे0 भूमि की मालियत 12700/– रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 25400/– होती है।

– वर्तमान रास्ता, प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता, उसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया जाकर मय नकल जमाबंदी पत्र के साथ संलग्न है।

– यह कि मौके पर उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:00:42 IST
Reason: SelfAttested

2.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीया व पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीया ने प्रा. त्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। तथा प्रार्थना – पत्र को चाही गई रिलिफ अनुसार स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थी व विपक्षी पेरोकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम चीड़खेड़ा पटवार हल्का चीड़खेड़ा की आराजी संख्या 1992, 1993, 1994 में आवागमन करने के लिऐ एक मात्र न्यूनतम दूरी का रास्ता जो ग्राम चीड़खेड़ा पटवार हल्का चीड़खेड़ा में विपक्षी की आराजी नं0 1990 रकवा 0.05 हे0 किस्म बीड़ बिलानाम भूमि है, उक्त रास्ते हेतु उक्त आराजी नं0 1990 रकबा 0.05 हे0 सम्पूर्ण भूमि रास्ते हेतु प्रभावित होती है। मौका पर्चा रिर्पोट में प्रस्तावित रास्ते की भुमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थीया को अपनी कुषि भुमि आराजी नं0 1992, 1993, 1994 में आने जाने के लिए प्रस्तावित भुमि के लिऐ विपक्षी की आराजी संख्या 1990 से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थीया की आराजी में प्रवेश हेतु यानि 0.05 हे0 भुमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होंता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीया का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम चीड़खेड़ा पटवार हल्का चीड़खेड़ा की आराजी संख्या 1992, 1993, 1994 में आने जाने के लिए विपक्षी की आराजी संख्या 1990 में 20 फीट चौड़ाई का रास्ता यानी 0.05 हे0 भुमि प्रार्थी की आराजी में प्रवेश हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 2,54,007/– है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत 12700/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 25400/–प्रार्थीया विपक्षी सरकार को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.05 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थीया से उक्तानुसार राशि 25400/– वसुल कर नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम चीडखेड़ा पटवार हल्का चीड़खेड़ा की आराजी संख्या [illegible] 20 फिट चौड़ा रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज अभि[illegible] तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर [illegible] कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.20[illegible] जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:00:42 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा



Scanned with CamScanner